

अवीवा ग्रुप लाइफ प्रोटेक्ट



अवीवा समूह जीवन सुरक्षा क्या है?

- उत्पाद मुख्य रूप से वित्तीय संस्थानों, बैंकों, सहकारी बैंकों और क्रेडिट सोसायटी के ग्राहकों के लिए लक्षित किया जाता है जो गृह ऋण, संपत्ति के आधार पर ऋण, शिक्षा ऋण, कार ऋण, दो परिया वाहन ऋण, ट्रैक्टर ऋण और व्यक्तिगत ऋण प्रदान करते हैं। हम क्रेडिट कार्ड और आवर्ती जमा धारकों को कवर करेंगे और उनकी बीमा राशि मास्टर पॉलिसीधारक की आवश्यकताओं पर निर्भर करेंगे।
- यह एक एकल प्रीमियम समूह बीमा उत्पाद है जो मृत्यु के जोखिम के लिहाज से कवर प्रदान करता है। बैंक/वित्तीय संस्थान/क्रेडिटप्रमुख पॉलिसीधारक होंगे।
- अवीवा समूह जीवन रक्षा लक्ष्य:

 - क्रेडिट कार्ड/बैंक वित्तीय आवर्ती जमा धारक/संस्था/क्रेडिट समाज से ऋणी की मृत्यु के कारण उत्पन्न होने वाली वित्तीय हानि के लिए परिवार के सदस्यों/आश्रितों को क्षतिपूर्ति करने के लिए।
 - न्यूनतम औपचारिकताओं के साथ सुरक्षा प्रदान करने के लिए - यदि कोई सदस्य व्यक्तिगत बीमा राशि बीमित व्यक्ति प्रमुख पॉलिसीधारक और कंपनी के बीच सहमत सीमा से कम या उसके बराबर होती है तो कोई चिकित्सा परीक्षण आवश्यक नहीं होता है।

प्रमुख पॉलिसीधारक कौन है?

- विभिन्न ऋण/एकत्रित जमा प्रदान करने वाला बैंक/वित्तीय संस्थान/क्रेडिट सोसाइटी प्रमुख पॉलिसीधारक होगा।

एक योग्य सदस्य कौन है?

- 18 से 69 वर्ष की आयु के बीच कोई भी व्यक्ति जो प्रमुख पॉलिसीधारक का ऋणदाता/जमाकर्ता है, वह एक योग्य सदस्य है। सदस्यता समाप्ति पर अधिकतम आयु 70 साल (पिछले जन्मदिन)

प्रति सदस्य न्यूनतम और अधिकतम बीमा राशि क्या है?

- एक व्यक्तिगत सदस्य के लिए न्यूनतम बीमा राशि ₹ 1,000 है।
- मेंडिकल अंडरराइटिंग आवश्यकताओं के अधीन बीमा राशि की अधिकतम सीमा नहीं है।
- कवरेज दो विकल्पों के तहत उपलब्ध है अर्थात् पूरे अवधि में और मासिक घटाने के आधार पर समान बीमित राशि।
- बीमित राशि सीमा जिसके बाहर व्यक्तिगत सदस्यों को चिकित्सा परीक्षण के लिए जाना होगा, सदस्य के समूह के प्रकार, कवर किया जा रहा ऋण का प्रकार, आदि पर निर्भर करेगा।

न्यूनतम समूह आकार क्या है?

- समूह का न्यूनतम आकार 50 है।

प्रीमियम कैसे निर्धारित किया जाता है?

- किसी व्यक्तिगत सदस्य द्वारा देय प्रीमियम ऋण की अवधि, संगठन की प्रकृति, व्यक्तिगत सदस्य की आयु, ऋण की राशि जोखिम कवरेज और कवर के प्रकार को लेने के समय कवर किया गया, यानी पैलेट कवर या मासिक घटाने वाला कवर इत्यादि पर निर्भर करेगा।

बीमित सदस्य की उम्र	35 वर्ष (पिछले जन्मदिन)
ऋण	₹500,000
ऋण अवधि	20 साल
ऋण का प्रकार	PSU बैंक से आवास ऋण/ 9.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की व्याज दर
कवर का प्रकार	मासिक घटाने वाला कवर
प्रीमियम	16.08* (₹500,000/₹1,000) = ₹8,040

किस आवृत्ति पर प्रीमियम का भुगतान किया जा सकता है?

यह एक एकल प्रीमियम उत्पाद है। कवर शुरू करने के समय सदस्यों को एक बार प्रीमियम का भुगतान करना होगा।

पॉलिसी की अवधि क्या होगी?

- कोई निश्चित पॉलिसी की अवधि नहीं है। यह तब तक जारी है जब तक मास्टर पॉलिसी के तहत मौजूदा बीमाकृत सदस्य हैं।
- प्रत्येक व्यक्तिगत सदस्य के लिए सदस्यता की अवधि न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होगी।
- मास्टर पॉलिसीधारक को 90 दिन का नोटिस देने के बाद कंपनी नए ऋण ग्राहकों के लिए पॉलिसी बंद कर सकती है। हालांकि, मौजूदा सदस्यों के लिए नीति जारी रहेगी।

किसी सदस्य की मृत्यु पर देय राशि क्या है?

- ऋण के मामले में, सदस्य की मृत्यु पर देय राशि सदस्यता लेने के शुरू में अतिम रूप से निर्धारित ऋण अनुसूची के अनुसार बकाया ऋण का भुगतान करता है पूर्ण और कवर ऋण अवधि के अंत से पहले समाप्त कर दिया जाता है। ऐसे मामले में, कंपनी उस सदस्य से संबंधित समर्पण मूल्य का भुगतान मास्टर पॉलिसीधारक को देगी।

गारंटीकृत समर्पण मूल्य की गणना इस प्रकार की जाएगी:

फ्लैट बीमित राशि के लिए:

$$75\% \times \text{सिंगल प्रीमियम} \times \text{बकाया अवधि}$$

ऋण की अवधि

बीमा राशि को कम करने के लिए:

$$75\% \times \text{सिंगल प्रीमियम} \times \text{बकाया अवधि} + (1 + \text{बकाया अवधि})$$

ऋण अवधि* (1 + ऋण अवधि)

जब सदस्य मर जाता है तो दावे की प्रक्रिया क्या होती है?

- दावा प्रक्रिया बहुत सस्ता है। मास्टर पॉलिसीधारक को दावे के कागजात के साथ सदस्य का मृत्यु प्रमाणपत्र प्रदान करना होगा और हम लाभार्थी को बकाया ऋण का कटौती करने के बाद, मास्टर पॉलिसीधारक के साथ निपटेंगे जो दावा राशि का भुगतान करेगा।

कर प्रायदे क्या हैं?

- सदस्य द्वारा भुगतान किया गया प्रीमियम आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 C के तहत कर छूट के लिए पात्र हो सकता है।
- दावा कर के होने पर भुगतान किये गए लाभ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (10) D के अनुसार कर योग्य नहीं हैं।
- कर लाभ आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार हैं और समय—समय पर परिवर्तन के अधीन हैं।
- कंपनी इस तरह की कटौती करने के हक्कदार होगी, जिसकी राशि में पॉलिसी के तहत प्राप्त होने वाले किसी भी लाभ से इसकी राशि आवश्यक और उचित है किसी भी कर या अन्य भुगतान का खाता जो किसी भी कानून, आदेश, विनियम या अन्यथा कंपनी, मास्टर पॉलिसीधारक या नामांकित व्यक्ति द्वारा लगाया जा सकता है।

ऐसी शिक्षियां क्या हैं जिनके तहत हम दावे का भुगतान नहीं कर पाएंगे?

- सदस्य के संबंध में एकल प्रीमियम का 80 % देय है यदि सदस्य की मृत्यु आत्महत्या के कारण होती है या इस योजना के तहत एक सदस्य बनने के 12 महीने के भीतर आत्महत्या करने का प्रयास करता है तो हालांकि, समूह की प्रोफाइल/विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए मामले के आधार पर इसे आराम दिया जा सकता है।
- सभी सदस्यों के लिए 45 दिनों का एक वर्ष का एकल प्रीमियम का अधिकतम अवधि है कि इस योजना के तहत सदस्य बनने के पहले 45 दिनों में अवधि के दौरान दुर्घटना के अलावा किसी भी कारण से मृत्यु के मामले में काइ दावा देय नहीं होगा। हालांकि, समूह की प्रोफाइल/विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए मामले के आधार पर इसे आराम दिया जा सकता है।

मास्टर पॉलिसीधारक से कौन सी जानकारी की आवश्यकता होगी?

- ऋण के मामले में, हमें पात्र सदस्यों की आयु, लिंग, व्यवसाय, बीमा राशि, बकाया ऋण, ऋण की अवधि, कवर प्रकार, ऋण पर व्याज दर इत्यादि पर निर्भर करेगा।
- आवर्ती जमा के मामले में, हमें योग्य सदस्यों की आयु, लिंग, व्यवसाय, बीमा राशि, जमा किसरत राशि, अवधि, जमा, कवर का प्रकार, जमा पर व्याज दर आविके साथ योग्य सदस्यों की सूची की आवश्यकता होगी।
- यह जानकारी शुरुआत में और मासिक या आवधिक अंतराल पर उसके बाद, योजना के शुरू होने के बाद सदस्यों के लिए शामिल होने के लिए आवश्यक होगी।

अग्रिम जानकारी

स्वीकृति

जोखिम की स्वीकृति और पूर्ण रूप से प्रीमियम की प्राप्ति तक अवीवा किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

अवीवा के साथ निवेश क्यों करें

- अवीवा लाइफ इंश्योरेस कंपनी इंडिया लिमिटेड डाबर इंस्ट्रक्टर कॉर्प और अवीवा इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड – यहें रिश्त बीमा समूह, जिसका भारत के साथ संबंध 1834 तक है, का संयुक्त उद्यम है। अवीवा समूह दुनिया के सबसे बीमा समूहों में से एक है। वर्तमान में, यह 16 देशों (भार्च, 2015) में 31 मिलियन ग्राहकों की सेवा करता है।

1884 में स्थापित डाबर समूह, पारंपरिक रसायन देखभाल उत्पादों के भारत के अग्रणी उत्पादकों में से एक है।

धारा 41

- (1) किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से अनुमति देने या किसी भी व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी तरह के जोखिम क